

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2013—पौष 20, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 220-17-इक्कीस-अ-(प्रा.) अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०१३

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ६-क में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ६-क का संशोधन.

“(१) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ के प्रारंभ से, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाएगा:

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा और किसी सदस्य की अवधि के अंतिम वर्ष की छह मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 221-17-इक्कीस-अ-(प्रा.) अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 OF 2013

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 6-A.

2. In Section 6-A of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(1) With effect from the commencement of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2012, there shall be paid a pension of fifteen thousand rupees per mensem to every person who has served for any period as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly :

Provided that where a person has served as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly for a period exceeding five years, there shall be paid to him an additional pension of five hundred rupees per mensem for every year in excess of five years, and the period of six months or more of the last year of the term of any member shall be deemed whole year for the purpose of earning additional pension.”